निजी सहायता प्राप्त/गैर–सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक संस्थानों (प्रारंभिक माध्यमिक/वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल) के अवसंरचनात्मक विकास के लिए योजना

प्रस्तावनाः

राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शिक्षा की राष्ट्रीय प्रणाली की संकल्पना की गई है अर्थात जाति, मत, भाषा अथवा बालक बालिका के भेदभाव के बिना सभी छात्रों की तुलनात्मक गुणवत्तामूलक शिक्षा तक पहुंच हो। इस नीति में अब तक शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार विषमता का निराकरण करने और समान शैक्षणिक अवसर प्रदान करने पर विशेष बल दिया जाता है।

2. राष्ट्रीय शिक्षा नीति की शर्तों के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र गहन दृष्टिकोण को सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्र गहन विकास योजना प वीं योजना में आरंभ की गई थी। 10वीं योजना के दौरान इस योजना का मदरसा आधुनिकीकरण योजना में विलय कर दिया गया, इसमे आधुनिकीकरण और अवसंरचना के घटकों को अलग–अलग रखा गया। आधुनिक विषय पढ़ाने वाले शिक्षकों को मानदेय प्रदान करने हेतु और आधुनिक शिक्षा प्रदान करने वाली सरकारी और गैर–सरकारी शैक्षणिक संस्थाओं के अवसंरचना घटक के अंतर्गत मदरसों को सहायता प्रदान करने हेतु कोई वित्तीय सहायता परिकल्पित नहीं की गई है।

3. अवसंरचना और आधुनिकीकरण घटकों के लक्ष्य समूहों के अलग–अलग होने के कारण 11वीं योजना में इन घटकों को विलग करने की योजना है। मदरसों के आधुनिकीकरण घटक को सुधारा जा रहा है और मदरसों में गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करने की अलग योजना बनाई जा रही है। इस योजना में अवसंरचना घटक को समाविष्ट किए जाने का प्रस्ताव है–निजी सहायता प्राप्त/गैर सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक संस्थानों का अवसंरचनात्मक विकास (प्रारंभिक माध्यमिक/वरिष्ट माध्यमिक स्कूल)।

उद्देश्यः

4. अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों की औपचारिक शिक्षा हेतु सुविधाओं का विस्तार करने के लिए अल्पसंख्यक संस्थाओं (प्रारंभिक माध्यमिक/वरिष्ट माध्यमिक स्कूल) में स्कूल अवसंरचना के संवर्धन और सुदृढ़ीकरण द्वारा यह योजना अल्पसंख्यकों को शिक्षा की सुविधा प्रदान करेगी। अन्य बातों के साथ–साथ यह योजना बालिकाओं, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों और अल्पसंख्यकों में शैक्षणिक रूप से बहुत पिछड़े बच्चों के लिए भी यह योजना शैक्षणिक सुविधाओं को प्रोत्साहन देगी।

कवरेजः

5. यह योजना पूरे देश को कवर करेगी। तथापि उपलब्ध जनगणना आंकड़ों के अनुसार 20 प्रतिशत से अधिक अल्पसंख्यक जनसंख्या वाले जिलों, ब्लाको और शहरों में स्थित पात्र अल्पसंख्यक संस्थाओं (निजी सहायता प्राप्त/गैर सहायता प्राप्त प्रारंभिक/माध्यमिक/वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल) को वरीयता दी जाएगी।

वित्तीय पैटर्नः

6. 11वीं पंचवर्षीय योजना में इस योजना के लिए 125 करोड़ रूपए की राशि प्रस्तावित है।

7. यह योजना निजी सहायता प्राप्त/गैर–सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक प्रारंभिक/माध्यमिक/वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों के अवसंरचनात्मक विकास के लिए 75 प्रतिशत तक वित्तपोषण कटेगी जो प्रति स्कूल के लिए अधिकतम 50 लाख रू. होगी। यह वित्तपोषण निम्नलिखित कार्यों के लिए होगाः

;पद्ध विद्यमान प्रारंभिक/माध्यमिक/वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल में शैक्षणिक अवसंरचना और बुनियादी सुविधाओं सहित अतिरिक्त शिक्षण कक्ष, विज्ञान/कम्प्यूटर प्रयोगशाला, पुस्तकालय, शौचालय, पेयजल सुविधा आदि के सुदृढ़ीकरण हेतु।

;पपद्ध ऐसे स्कूलों में विशेष रूप से बालिकाओं के लिए छात्रावासों हेतु।

;पपपद्ध उपर ;पद्ध अथवा ;पपद्ध में शामिल न की गई अन्य शैक्षणिक अवसंरचना/परंतु जो अल्पसंख्यक संस्था के शैक्षणिक विकास के लिए राज्य/केन्द्रीय अनुदान सहायता समिति की दृष्टि में सही हो।

पात्रता शर्तेः

8. इस योजना के अंतर्गत सहायता के लिए केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त स्वैच्छिक संगठन/सोसायटी/संस्थानों/स्कूलों को चलाने वाले ट्रस्ट पात्र होंगे।

9. केवल ऐसे स्वैच्छिक संगठन जो न्यूनतम तीन वर्षों से अस्तित्व में है, उन्हें ही इस योजना के अंतर्गत सहायता के लिए ध्यान में रखा जाएगा।

10. योजना के अंतर्गत पात्र स्वैच्छिक संगठनों को

– उचित गठन अथवा संघ नियम होने चाहिए;

– उचित रूप से गठित एक प्रबंध निकाय होना चाहिए जिसके अधिकारों और कर्त्तव्यों का ब्यौरा गठन में स्पष्ट किया गया हो;

–अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए संज्ञानी व्यक्तियों को स्वैच्छिक आधार पर शामिल करने की स्थिति में हो; किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के निकाय के लाभ के लिए इसे न चलाया जाए;

–भाषा अथवा महिला–पुरूष आदि के आधार पर किसी व्यक्ति अथवा समूह से पक्षपात न किया जाए;

–किसी राजनीतिक पार्टी के लाभ के लिए कोई कार्य न किया जाए अथवा सामुदायिक असंगति उत्पन्न न करना।

11. जिस संस्थान/स्कूल के लिए सहायता मांगी जा रही है वह कम–से–कम 3 वर्ष से चल रहा हो और उसमें अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों का पर्याप्त नामांकन हो। संस्था/स्कूल उंची फीस लेने वाला व्यापारिक स्कूल न हो।

12. स्वैच्छिक संगठन का आवेदन राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के संबद्ध सचिव को संबोधित होगा, जो राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में अनुदान–सहायता समिति का अध्यक्ष होगा।

कार्यान्वयन और मानीटरिंगः

13. योजना का कार्यान्वयन राज्य सरकार के माध्यम से किया जाएगा। अनुबंध में संलग्न विनिर्दिष्ट आवेदन फार्म में वित्तीय सहायता के लिए राज्य सरकार को दिए गए सभी आवेदनों पर पहले राज्य स्तरीय अनुदान सहायता समिति द्वारा विचार किया जाएगा। राज्य सरकार इस योजना के अंतर्गत आवेदनों की प्राथमिकता के लिए मानकों को बनाएगा और अधिसूचित करेगा तथा इसका प्रचार भी करेगा। इन मानकों में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में अल्पसंख्यकों की विशिष्ट स्थिति पर विचार किया जाना चाहिए। ;पद्ध स्कूल/संस्थान में अल्पसंख्यक बच्चों के दाखिले और उन्हें स्कूल में बनाए रखने के लिए प्रत्यक्ष शैक्षणिक अवसंरचनात्मक आवश्यकताऐं ;पपद्ध राज्य में

बालिकाओं, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों और शैक्षणिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों के बच्चों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने; ;पपपद्ध राज्य स्तरीय अनुदान सहायता समिति सहायता प्रदान किए जाने वाले स्वैच्छिक संगठनों और विशिष्ट स्कूलों/संस्थाओं की प्राथमिकता आधार पर केन्द्र सरकार से सिफारिश करने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। 10वीं योजना के दौरान तत्कालीन योजना एआईएमएमपी के अंतर्गत पहले से निधियां प्राप्त करने वाली संस्थाओं/स्कूलों/अल्पसंख्यक संगठनों को कुछ कम प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

14. राज्य सरकारों से प्रस्तावों की प्राप्ति के पश्चात केन्द्र सरकार की अनुदान–सहायता समिति प्राथमिकता आधार पर उन पर विचार करेगी और उनके लिए सहायता की सिफारिश करेगी।

15. इस उद्देश्यार्थ संघ सचिव, स्कूल शिक्षा और साक्षरता की अध्यक्षता में एक अनुदान–सहायता समिति गठित की जाएगी जिसमे संबद्ध संयुक्त सचिव सदस्य सचिव और वित्तीय सलाहकार (मानव संसाधन विकास मंत्री) सदस्य होंगे। इसमें अल्पसंख्यक मंत्रालय और संबद्ध राज्य सरकारों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, अनुदान सहायता समिति में अल्पसंख्यकों में से दो प्रतिष्ठित शिक्षाविद नामित करेगा। अनुदान–सहायता समिति राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के प्रस्तावों की जांच करेगी और उन्हें अनुमोदित करेगी।

16. वित्तीय सहायता एक–कालिक आधार पर प्रदान की जाएगी। कोई भी स्वैच्छिक संगठन अथवा शैक्षणिक संस्था इस योजना से पांच वर्ष में एक बार लाभ प्राप्त कर सकेगी। राज्य सरकारों के माध्यम से भारत सरकार द्वारा दो किश्तों में निधियां जारी की जाएगी। पहली किश्त के एक वर्ष के भीतर दूसरी किश्त की मांग की जानी चाहिए। इस अवधि के दौरान अल्पसंख्यक संस्था का 25 प्रतिशत भाग अवसंरचनात्मक स्तरोन्नयन के लिए किया जाना चाहिए।

17. सहायता प्राप्त करने वाली स्वैच्छिक एजेंसियों को चार्टड अकाउंटेंट/प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सत्यापित विनिर्दिष्ट फार्म में व्यय का संपरीक्षित विवरण देना आवश्यक होगा।

18. यह अनुदान केवल उन्हीं संगठनों/संस्थाओं को अनुमत्य होगा जिन्होंने इस योजना के अंतर्गत पहले प्राप्त सभी अनुदान सहायता के लेखों का चार्टेड अकाउंटेंट द्वारा सत्यापित अघतन विवरण प्रस्तुत किया होगा।

19. सहायता प्राप्त करने वाले स्वैच्छिक संगठन के संबंध में मानीटरिंग रिपोर्टों में लाभार्थी छात्रों की कुल संख्या संस्था द्वारा प्राप्त और उपयोग की गई राशि का विवरण दर्शाया गया होगा। इसे राज्य सरकार द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार को वार्षिक आधार पर प्रस्तुत किया जाएगा।

20. स्वैच्छिक संगठन के लेखों/कार्यों का रिकार्ड जांच हेतु मांगे जाने पर केन्द्र/राज्य सरकार/महालेखा नियंत्रण को उपलब्ध करवाया जाना चाहिए।

21. केन्द्र और राज्य सरकारे इस योजना का व्यापक प्रचार करेगी।

22. योजना के कार्य विष्पादन का मूल्यांकन केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा जैसा उचित समझे, परंतु इसके कार्य आरंभ होने के दो वर्षों के पूरा होने के पश्चात एक बार अवश्य किया जाएगा।

23. किसी भी संगठन/व्यक्ति का स्थायी लाभभोगी हेतु किसी भी मांग पर विचार नहीं किया जाएगा क्योंकि यह योजना पूर्णतया स्वैच्छिक आधार पर एककालिक अनावर्ती वित्तीय सहायता के रूप में परिकल्पित की गई है।

अनुबंध

(दो प्रतियों में प्रस्तुत किया जाना है)

प्रारंभिक/माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तरीय अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थाओं में अवसंरचना विकास की योजना

आवेदन पत्र

भाग–१

(आवेदक द्वारा भरा जाना है)

1. स्कूल के प्रबंधन स्वैच्छिक संगठन/एजेंसी का नाम (पूर्ण पते सहित):
2. स्कूल/संस्था का नाम और पता जिसके लिए वित्तीय सहायता अपेक्षित है:
3. उद्देश्य और कार्यकलाप(स्कूल के प्रबंधक संगठन/सोसायटी का सक्षिप्त इतिहास बताएं):
4. योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले स्कूल के विशेष कार्य:
5. क्या केन्द्र/राज्य बोर्ड के अंतर्गत पंजीकृत है?
6. संगठनात्मक ढ़ाचा, कुल कर्मचारी, उनकी भूमिका एवं दायित्व, शैक्षिक संस्थान/स्कूल के कर्मचारियों का टर्नओवर जिसके लिए सहायता मांगी जा रही है और स्वयंसेवी संस्था/सोसायटी
7. शासी बोर्ड/प्रबंध समिति–सदस्यों की संख्या, उनकी भूमिका आयोजित बैठक तथा उपस्थिति, शैक्षिक संस्था/स्कूल के गठन के निर्णय में उनकी सहभागिता और संबंधित स्वयंसेवी संस्थान/सोसायटी(सदस्यों की सूची संलग्न करें)
8. बैंकर, लेखापरीक्षक स्वयंसेवी संस्थान के कानूनी सलाहकार (लेखा के विवरण सहित) का नाम और पता:
9. शैक्षिक संस्थान/स्कूल के पास अवसंरचनात्मक सुविधाओं का विवरण जिसके लिए सहायता मांगी जा रही है:
   (क) क्या भवन किराए पर है या अपना है?
   (ख) कक्षाएं तथा प्रशासनिक व्यवस्था हेतु कमरों की संख्या:
   (ग) आधुनिक विषयों के अध्ययन हेतु स्थान की उपलब्धता:
   (घ) क्या विज्ञान प्रयोगशाला, पुस्तकालय आदि के लिए

अलग कमरा उपलब्ध है:

(ड़) विषयवार शिक्षकों की संख्या जो पहले से ही कार्य कर रहे हैं:

(च) संबंधित कक्षा में नामांकित बच्चों की संख्या जिसके लिए सहायता मांगी जा रही है (कम से कम 3 वर्ष के आंकड़े दें)

(छ) बालिका छात्रों की संख्या उक्त (च) में दे:

10. स्कूल के फोटोग्राफ

11. सफलता/टेटोमोनियल/पुरस्कार/मान्यता तथा कैसे स्कूल के कार्य व्यक्तिगत, फैमिली तथा समुदाय के लिए उपयोगी हो सके:

12. स्कूल/शैक्षिक संस्थान के शैक्षिक मामले में समुदाय/क्लाइंट की भागीदारी:

13. भविष्य की योजना एवं सततता:

14. स्वयंसेवी एजेंसी तथा शैक्षिक संस्थान/स्कूल के पिछले तीन वर्ष की आय तथा खर्चे का विवरण, लेखापरीक्षित तुलनपत्र जिसके लिए सहायता मांगी जा रही है:

15. वार्षिक रिपोर्ट अगर कोई स्वयंसेवी संस्थान/शैक्षिक संस्थान या स्कूल हो तो:

16. स्वयंसेवी संस्थान तथा शैक्षिक संस्थान/स्कूल द्वारा प्राप्त अनुदान ऋण का ब्यौरा के साथ प्राप्त हो रही निधियन के स्रोत के बारे में सूचना, जिसके लिए सहायता मांगी जा रही है:

17. क्या शैक्षिक संस्थान/स्कूल कोई अन्य स्रोत से किसी अन्य प्रकार के अवसंरचनात्मक सुधार के वित्तीय सहायता प्राप्त कर रहा है; यदि हां, तो इसका ब्यौरा दें:

18 अपेक्षित अतिरिक्त राशि

मद	संख्या	अपेक्षित राशि'	लाभार्थी बच्चों की संख्या
क) शिक्षण कक्षा			
ख) विज्ञान कक्ष			
ग) कम्प्यूटर प्रयोगशाला			
घ) पुस्तकालय कक्ष			
ड.) शौचालय (बालिका)			
च) शौचालय (बालक)			
छ) पेयजल सुविधाएं			
ज) बालिकाओं के लिए छात्रावास			
झ) बालकों के लिए छात्रावास			
ञ) विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए रैम्प/प्रयोगशाला जैसी शैक्षिक सुविधाएं			
ट) कोई अन्य शैक्षिक अवसंरचनात्मक आवश्यकता			
कुल			

'वास्तविक अवसंरचना हेतु अपेक्षित राशि राज्य लोक निर्माण विभाग की दर अनुसूची से अधिक नहीं होनी चाहिए।

19. मद 18 के लिए स्वैच्छिक संगठन/सोसायटी का हिस्सा जो 25 प्रतिशत के समकक्ष से और स्वैच्छिक संगठन/सोसायटी की इसे प्रदान करने की वचनबद्धताः

20. मद संख्या 18 में दिए स्वैच्छिक संगठनों/सोसायटी के हिस्से के निवेश का स्रोत

21. मद 18 के लिए अपेक्षित केन्द्र सरकार का 75 प्रतिशत के समकक्ष हिस्सा।

प्रमाणित किया जाता है कि उपर दी गई सूचना सही है और किसी मिथ्या प्रस्तुतीकरण अथवा त्रुटि के लिए में व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी हूं।

तारीखः

स्थानः

अध्यक्ष/सचिव के हस्ताक्षर

भाग–II

(राज्य सहायता अनुदान समिति की सिफारिश)

संगठन का नाम जिसके मामले की सिफारिश की जा रही है:–

1. क्या राज्य सरकार ने इस योजना के तहत आवेदनों को प्राथमिकता देने के लिए कोई मानदंड तैयार कर प्रसारित किए हैं?

हां/नहीं

2. क्या वित्तीय सहायता के लिए जिस प्रस्ताव की सिफारिश की जा रही है वह इन मानदडों के अनुरूप है?

हां/नहीं

3. क्या प्राप्त प्रस्ताव यथानिर्धारित विनिर्दिष्ट आवेदन प्रपत्र में है?

हां/नहीं

4. क्या प्रस्ताव की जांच की गई है और क्या यह इस योजना के पात्रता एवं वित्तीय पैरामीटरों के अनुरूप हैं?

हां/नहीं

5. क्या इस योजना के तहत जिस भूमि पर अवसंरचना प्रस्तावित की जा रही है उस पर संगठन का वैधानिक अधिकार है?

हां/नहीं

6. क्या प्रस्तावित अवसंरचना के लिए प्राक्कलन राज्य लोक निर्माण विभाग की दर अनुसूची के अधिक नहीं हैं

हां/नहीं

7. क्या यह सुनिश्चित किया गया है कि जिस संगठन की सिफारिश की जा रही है उसने इसी उद्देश्य के लिए राज्य/केन्द्र सरकार की अन्य योजनाओं/कार्यक्रमों से निधियां प्राप्त नहीं की है?

हां/नहीं

8. क्या जिस संस्था की सिफारिश की जा रही है उसने मामले की अग्रेसित किए जाने की तारीख तक आवश्यक संपरीक्षित लेखे, उपयोग प्रमाण–पत्र, वार्षिक रिपोर्ट और अन्य यथाविनिर्दिष्ट निष्पादन रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी हैं?

हां/नहीं

9. वरीयता क्रम, जिसमें संगठन के मामले की सिफारिश की जा रही है।

(अंकों और शब्दों में संख्या लिखें)

आवेदन की जांच कर ली गई है और यह प्रमाणित किया जाता है कि यह संगठन सहायता के लिए पात्र है और जिस कार्यक्रम के लिए आवेदन किया है उसको चलाने मे संक्षम है।

(राज्य जीआईएसी के सदस्य सचिव के हस्ताक्षर)

निजी सहायता प्राप्त/गैर सहायता प्राप्त स्कूलों/संस्थाओं में अवसंरचना विकास की योजना के कार्यान्वयन की वार्षिक प्रगति रिपोर्ट

वार्षिक प्रगति रिपोर्ट

राज्यः (रू. लाख में) वर्ष .....के लिए

क.स.	स्कूल/संस्था का नाम जिनके लिए परियोजना संस्वीकृत की गई	कार्यान्वयन एजेंसी का नाम	संस्वीकृत वर्ष	कुल संस्वीकृत राशि	जारी प्रथम किस्त		जारी द्वितीय किस्त		संस्था का हिस्सा	कुल उपलब्ध राशि	वास्तविक प्रगति'		वित्तीय प्रगति/ उपयोग में ली गई राशि	टिप्पणियां
					राशि	तारीख	राशि	तारीख			लक्ष्य	उपलब्धियां		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

' यदि जगह पर्याप्त न हो तो, अलग कागज लगाएं।